REGD. NO. D. L.-33004/99



He Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2013/माघ 29, 1934

No. 52] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/MAGHA 29, 1934

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 11 फरवरी, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(जीवन बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2013

एफ. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि./17/75 /2013 :- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-
- क. ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा पुनर्वीमा) विनियम, 2013 कहलाएँगे ।
- ख. ये सरकारी राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. परिभाषाए इन विनियमा म, जब तक सद्भ सं अन्यथा अपेक्षित न हा :
 - क. 'अधिनियम' से बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
 - ख. 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

- ग. 'अर्पणकर्ता' से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो पुनर्बीमा संविदा करता है अथवा वह पुनर्बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो पुन:अध्यर्पण संविदा करता है;
- घ. 'अर्ख्यपण' से उस बीम।कर्ता द्वारा, जिसने मूल बीमाकृत व्यक्ति को पॉलिसी जारी की है, पुनर्वीमाकर्ता को दिया गया बीमे का अंश अभिप्रेत है;
- ङ. 'फ्रांटिंग' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा प्राथमिक बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ता को अधिकांश अथवा सारी बीमा जोखिम अध्यर्पित करता है;
- च. 'ऐच्छिक पुनर्बीमा' से ऐसी एकल पॉलिसी का आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से पुनर्बीमा अभिप्रेत है जिसमें अध्यर्पण के लिए अलग से बातचीत की गई है तथा पुनर्वीमाकर्ता और बीमाकर्ता के पास प्रत्येक वैयक्तिक निवेदन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का विकल्प है;
- छ. 'पुनर्बीमा संविदा' से सभी पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वह दस्तावेज अभिश्रेत है जो पुनर्बीमा संविदा की सभी शर्ती और अन्य उपबंधों का एक संपूर्ण, सही और निश्चित अभिलेख उपलब्ध कराता है।
- ज. 'पुन:अर्घ्यपण' से वह लेनदेन अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक पुनर्वीमाकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता अथवा पुनर्वीमाकर्ता को अपने द्वारा पूर्व में बारित ऋारा पुनर्वीमा अथवा उसका अंश अर्घ्यर्पित करता है:
- झ. 'प्रतिधारण' से जोखिम का वह अंश अभिप्रेत है जिसे बीमाकर्ता अपनी ओर से ग्रहण करता है;
- अ. 'भारतीय पुनर्बीमाकर्ता' से वह भारतीय बीमा कंपनी अभिप्रेत है जिसे भारत में केवल पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा धारा 3 की उप-धारा (2क) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
- ट. 'पूल' से बीमा अथवा पुनर्बीमा का कोई ऐसा संयुक्त हामीदारी (जीखिम अंकन) कार्य अभिप्रेत है जिसमें सहभागी सारे लिखित व्यवसाय में एक पूर्वनिर्धारित और नियत हिंत धारण करते हैं;
- ठ. 'संघि' से बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के बीच पुनर्बीमा की वह व्यवस्था अभिप्रेत है, जो सामान्यतः एक वर्ष अथवा उससे अधिक अविधि के लिए होती है तथा जो व्यवसाय के किसी वर्ग अथवा किन्हीं वर्गों के पुनर्बीमा के लिए लागू तकनीको विवरण और वित्तीय शर्तों निर्वारित करती है;
- ड. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः वहीं होंगे जो यथास्थिति उन अधिनियमों में उनके लिए निर्दिष्ट किये गये हैं।

3. भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा :

- क. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101अ के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ प्रत्येक पॉलिसी के संबंध में बीमाकृत राशि के ऐसे प्रतिशत का पुनर्बीमा करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- ख. बशर्ते कि इस प्रकार बिनिर्दिष्ट कोई प्रतिशत ऐसी पॉलिसी के संबंध में बीम।कृत राशि के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा
- ग. यह भी शर्त है कि बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे तथा
- घ. यह भी शर्त है कि ऐसे अनुपात विनिर्दिष्ट किये जाएँगे जिनमें उपर्युक्त प्रतिशत का आबंटन भारतीय बीमाकर्ताओं के बीच किया जाएगा।
- ङ. इस विनियम के प्रयोजन के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101आ के अनुसार एक सलाहकार समिति गठित की जाएगी जिसमें जीवन बीमा व्यवसाय का विशेष ज्ञान और अनुभव रखनेवाले पाँच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे ।

4. पुनर्वीमा व्यवस्थाओं के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया--

- क. प्रत्येक बीमाकर्ता /पुनर्बीमाकर्ता का पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहेगा :
 - i. देश के भीतर प्रतिधारण को अधिकतम करना:
 - ii. पर्याप्त क्षमता विकसित करना;
 - iii. उपगत पुनर्बीमा लागतों के लिए सर्वोत्तम संभव संरक्षण सुनिश्चित करना;
 - iv. यह सुनिश्चित करना कि पुनर्बोमा पॉलिसी बीमा व्यवसाय के फ्रंटिंग के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करती;

- v. व्यवसाय के संचालन को सरल बनाना ।
- ख. प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता सुरक्षित किये गये जीवनों के संबंध में पुनर्बीमा का एक कार्यक्रम बनायेगा तथा बीमाकर्ता द्वारा ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा विधिवत नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित रूप में प्राधिकरण के पास प्रत्येत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम पैतालीस दिन पहले दाखिल की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - i. नये बीमाकर्ताओं के लिए : उनके पूँजीकरण के संबंध में प्रस्तावित पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ, व्यवसाय और प्रतिधारणों के प्रस्तावित वर्ग; उनके पुनर्बीमाकर्ता और उनकी पिछले पाँच वर्ष की रेटिंग; और नियंत्रण प्रणालियाँ।
 - ii. वर्तमान बीमाकर्ताओं के लिए :
 - उनके पूँजीकरण के संबंध में प्रस्तावित पुनर्वीमा व्यवस्थाएँ, व्यवसाय और प्रतिधारणों के प्रस्तावित वर्ग; उनके पुनर्वीमाकर्ता, शेयर और पिछले पाँच वर्षों की रेटिंग तथा
 - 2. वर्तमान पुनर्वीमा व्यवस्थाओं की वार्षिक समीक्षा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - क. लिखित बीमा व्यवसाय के प्रत्येक वर्ग के लिए जोखिम एक्सपोजरों के संबंध में : प्रतिधारण सीमाएँ, विनियम 6 में निर्दिष्ट बिनियामक रिपोर्टिंग प्रतिधारण सीमाओं के साथ तुलना, और संबियों हारा प्रदत्त सुरक्षा की श्रेणियाँ;
 - ख. एक्सपोजरों की निगरानी करने तथा अर्थ्यपण और दावों के संबंध में चसूलियाँ करने के लिए पुनर्बीमा नियंत्रण प्रणालियाँ;
 - ग. प्रमुख पुनर्वीमाकर्ता, अर्थात् किसी एक पुनर्वीम। संबिदा के अंतर्गत अध्यर्पित प्रीमियमों के 20 प्रतिशत से अधिक से युक्त पुनर्वीमाकर्ता तथा कुल अध्यर्पित प्रीमियमों के 5 प्रतिशत से अधिक से युक्त पुनर्वीमाकर्ता।
 - घ. उस/उन पुनर्बीमाकर्ता(ओं) का/के नाम जिसके/जिनके साथ बीमाकर्ता ने पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ की हैं, उनके शेयर और पिछले पाँच वर्ष के लिए उनकी रेटिंग।

बशर्ते कि प्राधिकरण यदि आवश्यक समझे तो बीमाकर्ता से समय-समय पर कोई भी अतिरिक्त सूचना प्रात करेगा तथा बीमाकर्ता ऐसी सूचना प्राधिकरण को तत्काल प्रस्तुत करेगा ।

- ग. बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न क्यार्थपरक आपदा परिदृश्य परिक्षणों का प्रयोग करते हुए आपाती जोखिमों के संबंध में की गई पुनर्वीमा व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं तथा पुनर्वीमा कार्यक्रम के साथ उन्हें प्राधिकरण के पास दाखिल करने से पहले निदेशक मंडल ने उनका अनुमोदन किया है ।
- घ. बीमाकर्ता पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की ऋण जोखिम और संकेंद्रण जोखिम का निर्धारण करेगा तथा ऐसी जोखिमों, यदि कोई हों, को कम करने के लिए किये गये उपाय पुनर्बीमा कार्यक्रम में स्पष्ट करेगा ।
- ङ. प्राधिकरण पुनर्बीमा कार्यक्रम, विनियम 5 में निर्दिष्ट रूप में प्रतिद्यारण नीति के विवरण तथा विनियम 6 के अंतर्गत यदि अपेक्षित हो तो अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए, पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत विनियामक रिपोर्टिंग व्रतिकारण सीमाओं पर विस्तृत रिपोर्ट की जाँच करेगा, कि :
 - उप-विनियम 4 (क) में निर्दिष्ट उद्देश्य पूरे किये गये हैं;
 - ii. प्रतिद्यारण सीमाओं का परिकलन करने में बीमाकर्ता की वित्तीय शक्ति, पुनर्वीमा नीति, हामीदारी (जीखिम अंकन) क्षमता, व्यवसाय की मात्रा आदि पर विचार किया गया है।
- च. यदि बीमाकर्ताओं का पुनर्बीमा कार्यक्रम इस विनियम के समग्र उद्देश्य के अनुरूप नहीं पाया जाता, तो प्राधिकरण शोधक्षमता का परिकलन करने के प्रयोजनों के लिए जोखिम पर राशि (सम-अट-रिस्क) कारक में पुनर्बीमा के लिए न्यूनतर साख की अनुमति दे सकेगा।
- छ. (ङ) और (च) के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण सभी आवश्यक औष्टिय-प्रतिपादनों, बीमाकर्ता की तकनीकी और वित्तीय शक्ति, सभी समर्थक आंकड़ों, और उन कारणों का परीक्षण करेगा कि पुनर्वीमा कार्यक्रम में प्रस्तुत रूप में इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होगी।
- ज. प्राधिकरण उपर्युक्तानुसार पुनर्बीमा के ऐसे कार्यक्रम की संवीक्षा करेगा तथा यदि आवश्यक समझे तो परिवर्तन सुझाएगा और बीमाकर्ता अपने कार्यक्रम में तत्काल ऐसे परिवर्तन शामिल करेगा ।

5. प्रतिधारण नीति :

क. प्रत्येक बीमाकर्ता कंपनी के अंदर प्रतिधारण क्षमता निर्मित करेगा और एक निरंतर आधार पर प्रत्येक श्रेणी के उत्पाद/जोखिम के लिए उपयुक्त प्रतिधारण नीति बनायेगा तथा प्राधिकरण को प्रस्तुत वार्षिक पुनर्बीमा कार्यक्रम में

उभरते दावों के अनुभव, वित्तीय स्थिति, हामीदारी (जोखिम अंकन) क्षमता आदि के अनुसार ऐसी प्रतिधारण नीति को निरंतर आधार पर उचित सिद्ध करेगा।

- ख. प्रत्येक बीमाकर्ता की ऐसी प्रतिधारण नीति के संबंध में निर्नालिखित की आवश्यकता होगी :
- -मात्रा के अनुरूप सभी उत्पादों में प्रतिश्वारण को अधिकतम बनाना होगा तथा उसका लक्ष्य भारत में अर्जित अधिकतम प्रीमियम का प्रतिधारण करना, उसकी वित्तीय शक्ति और व्यवसाय की
- = उप-विनियम 4(ख) में निर्दिष्ट रूप में पुनर्बीमा कार्यक्रम में उपर्युक्त को स्थापित करना।
- ग. बीमाकर्ताओं को कोटा शेयर के संबंध में निम्नानुसार पुनर्बीमा करने की अनुमति दी जा सकती है :
- -स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय के लिए परिचालन प्रारंभ करने के प्रारंभिक दो वर्षी
- Ħ शुरुआती दो वर्षों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय के लिए नई जोखिमों/उत्पादों को प्रारंभ करने के
- के लिए लागू सारणी :6(1) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होंगे। बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में न्यूनतम प्रतिधारण कम से कम स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय
- घ. प्राधिकरण बीमाकर्ता से उसकी प्रतिधारण नीति को आगे और तर्कसंगत सिद्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझेगा।

6. विनियामक रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ :

- यदि मृत्यु-दर/अस्वस्थता-दर जोखिमों के लिए ऐसे प्रतिवारण नीति के प्रतिवारण स्तर सारणी : 6 में बताई संबंध में प्रत्येक उत्पाद के लिए एक विस्तृत कार्यप्रणाली सूचित करेंगे : 30 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे सभी मामलों में बीमाकर्ता अनुमोदन के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ निम्नलिखित के तुलना में कुल पुनर्बोमा प्रीमियम सभी बचत उत्पादों के लिए 2 प्रतिशत और सभी सावधि बीमा/स्वास्थ्य उत्पादों के लिए गई विनियामक रिपोर्टिंग प्रतिथारण सीमाओं से कम हैं अथवा एक विशिष्ट उत्पाद के अंतर्गत प्राप्त कुल प्रीमियम की
- हामीदारी (जोखिम अंकन) प्रक्रियाएं;
- दावों की घट-बढ़ और दावों संबंधी अनुभव;
- E वर्तमान प्रतिधारण स्तर;
- ٧. उनकी वित्तीय शक्ति;
- व्यवसाय की मात्रा;
- 5. पूँजीगत अपेक्षाएं;
- VIII VII. पुनर्बीमाकर्ताओं का पिछले दावों के भुगतान से संबंधित पूर्ववृत्त;
- प्रबंध, मूल्य-निर्धारण, मूल्यांकन, आदि के तौर पर क्षमता निर्माण के लिए किये गये उपाय, आदि जोखिम को प्रारंभ करने के बाद हामीदारी (जोखिम अंकन) में क्षमता के निर्माण, दावों के निपटान, जोखिम

विनियामक रिपोर्टिंग प्रतिधारण सीमाएँ सारणी : 6

	1	ंग स
	0 से 3 वर्ष दोनों सम्मिलित	बीमाकर्ता की आयु अथवा वर्ष जिसमें जोखिम प्रारंभ की गई है**
सभी प्रकार के बधत उत्पाद जैसे 10 लाख बंदोबस्ती, यूनिट संबद्ध उत्पाद आदि	विशुद्ध सुरक्षा उत्पाद जैसे सावधि ऽ लाख बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना उत्पाद आदि	उत्पादी अथवा अनुवृद्धियो का प्रकार
10 लाख	5 लाख	जोखिम पर राशि संबंधी प्रतिधारण सीमा। (रुपये में)

		1 लाख
4 से 7 वर्ष दोनो समिलित		10 लाख
	सभी प्रकार के बचत उत्पाद जैसे 2 बंदोबसी, यूनिट संबद्ध उत्पाद आदि	20 लाख
	समी प्रकार के सामूहिक सुरक्षा 1 उत्पाद	10 लाख
	कि दुर्घटना उत्पादों को र सभी प्रकार के स्वास्थ्य	3 लाख
8 से 11 वर्ष दोनो सम्मिलित	इ. मुख्या उत्पाद जैसे सावधि वैपक्तिक दुर्घटना उत्पाद	15 लाख
	आद सभी प्रकार के बचत उत्पाद जैसे बंदोबसी, यूनिट संबद्ध उत्पाद आदि	30 लाख
	सभी प्रकार के सामूहिक सुरक्षा 1 उत्पाद	15 लाख
	क दुर्यटना उत्पादी को र सभी प्रकार के स्वास्थ्य त्याद	3 लाख
12 से 15 वर्ष दोनों समिलित	विशुद्ध मुख्सा उत्पाद जैसे सावधि 2 बीमा, वैयक्तिक दुर्वटमा उत्पाद आदि	20 लाख
	सभी प्रकार के बचत उत्पाद जैसे बंदोबस्ती, यूनिट संबद्ध उत्पाद आदि	30 लाख
	सभी प्रकार के सामूहिक सुरक्षा उत्पाद	20 लाख
	वैचित्तिक दुर्यटना उत्पादों को 4 छोड़कर सभी प्रकार के खास्थ्य बीमा उत्पाद	4 लाख
15 वर्ष से अधिक	सभी चार प्रकार के उत्पादों के लिए सीमाएँ प्राधिकरण	र सीमाएँ प्राधिकर
in the CT	אינו וד ואינון היי אינולן דו אינולן	

**यदि बीमाकर्ता जोखिम पहली बार प्रारंभ कर रहा है, तो ऐसे मामलों में बीमाकर्ता की आयु का विचार किये बिना #1 में निर्दिष्ट सीमाएँ लागू होंगी। परंतु आगे यह भी शर्त है कि प्राधिकरण विनियामक रिपोटिंग प्रतिधारण सीमाओं की प्रत्येक दो वर्ष में समीक्षा करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर इन सीमाओं का ऊर्ध्वमुखी परिशोधन कर सकेगा ।

- 7. पुनर्बीमा संधियों का प्रस्तुतीकरण :
- सभी पुनर्बीमा व्यवस्थाओं को प्रलेखीकृत किया जाएगा तथा प्राधिकारण के पास वितीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर दाखिल किया जाएगा।
- ख. विनीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण के पास उस वर्ष के संबंध में प्रत्येक पुनर्बीमा सीध सीवदा की एक प्रति भी चुनर्वीमाकर्ताओं की सूची, उनकी रेटिंग और पुनर्वीमा व्यवस्था में उनके शेयरों सहित दाखिल करेगा ।

बशते कि पुनर्वीमा संधि की शतीं में कोई भी परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होने के 15 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास दाखिल किया जाएगा।

8. पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थापन :

- वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष से गणना करके पिछले पाँच वर्ष की अवधि में कम से कम बीबीबी की क्रेडिट रेटिंग (स्टैंडर्ड एण्ड बीमाकता भारत से बाहर अपना पुनर्बीमा व्यवसाय केवल ऐसे पुनर्बीमाकताओं के साथ करेंगे जिनके पास कारोबार करने के पूअर की) अथवा किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी की समतुल्य रेटिंग हो।
- बशतें कि बीमाकर्ता द्वारा किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता के साथ व्यवसाय का स्थापन प्राधिकरण के पूर्व अनुमेदिन से होगा। D.
 - परंतु आगे यह भी शर्त है कि पुनर्बीमा का कोई भी कार्यक्रम मूल प्रीमियम आबार पर नहीं होगा । F
- पुनर्बीमा संधि व्यवस्था नहीं करेगा, केवल उन शतों को छोड़कर जो बाजार में वाणिष्यिक तौर पर प्रतिसर्थात्मक हो और इस परंतु आगे यह भी शर्त है कि कोई भी जीवन बीमाकर्ता अपनी प्रवर्तक कंपनी अथवा अपनी सहयोगी/समूह कंपनी के साथ प्रकार प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से होंगा जोकि अतिम और बाध्यकारी होगा ।
 - जीवन बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ व्यवसाय के स्थापन से पहले पुनर्बीमा कार्यक्रम में उनकी सहभागिता को स्वीकार करते समय, उपलब्ध क्या में पुनर्बीमाकर्ताओं के पिछली दावा निषादन- क्षमता का ध्यान रखेंगे।

9. विवरणियों का प्रस्तुतीकरण :

- क. प्रत्येक बीमाकर्ता से यह अपेक्षित होगा कि वह प्राधिकरण को अनुबंध I के अनुसार तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित और विनिर्दिष्ट किये जानेवाले ऐसे अन्य प्रपत्रों में अपने पुनर्बीमा लेनदेनों से संबंधित सूचना और विवरिणयों प्रस्तुत
- स्मव्हीकरण : सभी जीवन बीमाकर्ता अनुबंध 1 के अनुसार अपेक्षित सूचना और विवरणियाँ प्रस्तुत करेंगे :
- उन प्रपत्रों के मामले में जिन्हें वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना है, प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति से 45 दिन के
- अन्य सभी मामलों में स्थिति के अनुसार प्रत्येक तिमाही/छमाही की समाप्ति से 15 दिन के अंदर।

10. आवक पुनर्बीमा व्यवसाय :

- आवक पुनर्वीमा व्यवसाय करने के इच्छुक प्रत्येक बीमाकर्ता ऐसे व्यवसाय के लिए अपेक्षित रूप में सभी व्यावसायिक पूर्वानुमान तथा सभी प्रलेखन प्रस्तुत करते हुए प्राधिकरण के विशिष्ट अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।
- आवक पुनर्बीमा व्यवसाय करने के इच्छुक प्रत्येक बीमाकता के पास आवक पुनर्बीमा व्यवसाय की हामीदारी (जोखिम अंकन) के लिए उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक सुपरिभाषित हामीदारी (जोखिम अंकन) नीति होगी। ė,
- बीमाकर्ता प्रत्येक वितीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम पैतालीस दिन पहले प्राधिकरण के पास कारोबार के बनों, भौगोलिक विस्तार, हामीदारी (ओखिम अंकन) की सीमाओं और लाभ उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अपनी हामीदारी (जोखिम अंकन) नीति दाखिल करेगा। F.
- बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्बीमा व्यवसाय की स्वीकृति के संबंध में निर्णय यथेष्ट जानकारी और अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों द्वारा, अधिमानतः बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकिक के साथ परामश् करने के बाद लिये आएँगे। ä
- बीमाकता जब भी उक्त हामीदारी (जोखिम अंकन) नीति में उसके निदेशक मंडल से विधिवत् अनुमोदित कोई परिवर्तन किया जाता है तब उन परिवर्तनों को भी प्राधिक रण के पास दाखिल करेगा।
- बीमाकता प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय से पृथक् रूप से स्वीकृत पुनर्बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रींमियमों, दावों आदि जैसी सभी और भुगतान दशायिगा ।

11. निरसन और बचत :

- क. ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा पुनर्बीमा) विनियम, 2000 का निरसन करते हैं।
- जब तक इन विनियमों द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो, यह नहीं माना जाएगा कि इन विनियमों में निष्टित कोई भी बात इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले की गई व्यवस्थाओं को अमान्य ठहराती है।

जे. हरिनारावण, अध्यक्ष [विज्ञापन III/4/161/12/असा.]

पुनर्बीमा (जीवन) विभाग के लिए प्रयुक्त होने वाले फार्म और रिपोर्टें

फार्म ए फार्म ए फार्म ए फार्म ए प्रवर्गेम पुनर्वीम पुनर्वीम	इनपुट पुनर्वीमा 1.1 हनपुट पुनर्वीमा 2	इनपुट पुनर्बीमा 1
फार्म एलआर3 : 31 मार्च	वर्ष के दौरान पुनर्बीमा संधियों का सारांश फार्म एलआर-2 : वर्ष के लिए आधिक्य संधि का विवरण	जीवन बीमा अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकताओं द्वारा भरी जानेवाली विवरणियाँ फार्म एलआर-1 : वर्ष के दौरान पुनर्बीमा संधियों की सूची

तार प्रस्कार 1 : वर्ष के देशन पुनर्बाम संकियों की भूदी के प्रमाण का को प्रमाण का को प्रमाण का को प्रमाण के महाम महिक्स के महाम महाम के महाम महिक्स के महिक्स के महाम महिक्स के

नकुट_ पुनबीमा_1.1 र्ष के दौरान पुनर्बीमा संधियों का सारांश गोजन और उद्देश्य यह फार्म वर्ष के दौरान पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा की गई संबियों का सारांश प्राप्त करता है। यह एक नया फार्म है जो विभाग की आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित किया गया है। इस विवरणों की आवृत्ति वार्षिक है।

ग्ल्टर और मानदंड वर्ष :

वर्गीकरण :

बीमाकर्ता का नाम :

अंगी:

विवरण		आधिक्य संधि	कोटा श्रोय संधियाँ	भेयर हानि आधिक्य रक्षा संधि	ऐच्छिक पुनर्बीमा	आपाती	कोई अन्य
	क उक्रमंभ	8	E E	=	4	No	디
वर्ष के प्रारंभ में संधियों की संख्या							
जोड़ी गई संधियाँ							
आशोधनों की संख्या							
समाप्त/लंबित संधियों की संख्या							
वर्ष के अंत में संधियों की संख्या							

एक विकल्प का चयन करे

इनपुट पुनबीमा 2

फार्म एलआर-2 : वर्ष के लिए आधिक्य संधि का विवरण*

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्म का उद्देश्य बीमाकर्ता द्वारा दाखिल की गई आधिक्य संधियों का विवरण प्राप्त करना है। यह वर्तमान फार्म एलआर-2 के आधार पर पुन: निर्मित फार्म है।

इस विवरणी की आवृत्ति वार्षिक है।

फिल्टर और मानदंड

वर्षः

बीमाकर्ता का नाम :

部:

वर्गीक रण :

संधिका नाम :

संधि का वर्ष :

सम्मिलित की गई जीवन बीमा उत्पादों की संख्या :

सम्मिलित किये गये उत्पादों का नाम :

निकाली गई जोखिम :

अधिक उत्पाद जोड़ने के लिए यहाँ किलक करें

अधिक जोखिमों को जोड़ने के लिए यहाँ विलक करे

एक विकल्प का चयन कर

शुद्ध प्रतिधारणः

प्रतिधारण का आधार :

ख) अवमानक जोखिम : क) सामान्य जोखिम :

क) सामान्य जोखिम :

आधिक्य संधि कीसीमा :

पुनर्बीमा का आधार :

ख) अवमानक जोखिम:

١	U	;	
	-		
1	6	i	
í			
	•		

नर्बीमा प्रीमियम की दरें :

क) मृत्यु और अशवतता जोखिमें (कृषया अनुसूची संलग्न करें)

ख) अनुवृद्धियाँ

ाम कमीशन :

नबीमा कमीशन :

क) प्रतिशतः

ख) प्रबंध व्यय के लिए कटीती :

ग) आगे ले जाई गई हानि का प्रावधान :

घ) जीवनों की न्यूनतम संख्या :

ारक्षित निधि/जमाराशियाँ :

ख) मुक्त करने की पद्धति : ग) देय ब्याज :

क) प्रतिधारण का आधार और प्रतिशृत :

मापन :

हों / नही क) सूचना अपेक्षितः

ख) प्रतिबंध और समापन :

ग) समयपूर्व समाप्ति पर दंड :

नर्बीमाकतिओं की सूची

	 	 	 	 	 _
दलाल का नाम, यदि कोई हो					
संघि में शेवर			*		
पुनर्वीमाकर्ता का नाम					

म प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है ।

12	, . X	
(प्रथान अधिकारी के हस्ताक्षर)	, प्रयान अधिकारी का नाम)	(माह) (वर्ष)
		(दिन)
!		दिनोक :
(नियुक्त बीमांकिक के हस्ताक्षर)	(नियुक्त बीमांकिक का नाम)	

टिमणी : * बीमाकर्ता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक संधि के लिए अलग एलआर-2 फार्म प्रस्तुत करे।

सभी आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रविष्ट करना होगा।

सभी आंकड़े/साशियाँ रुपये में हैं।

इनफुट पुनर्बीमा_3 फार्म एलआर-3 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आधिक्य संधि का परिणाम

इस फार्म का उद्देश्य आधिक्य संधि के लिए पुनर्वीमाकर्ता के व्यवसाय का डेटा प्राप्त करना है। यह वर्तमान एलआर-3 फार्म के आघार पर पुन: निर्मित फार्म है।

यह फार्म वार्षिक है।

प्रयोजन और उद्देश्य

10	
Ĕ	
H	
' ह्न	
1	

क्षि का नाम :

पुनबीमाकता का नाम**: बीमाकर्ता का नाम : वर्गीकरण :

	पुनर्वीभाकृत	जीवनो	की पुनर्बीमाकृत राशि	राशि	पुनर्बीमा प्रीमियम	पियम	पुनर्वीमा कमीशन	अदा किये गये पुनर्बीमा दावे	। पुनर्बीमा दावे	लाभ	श्रेष
वर्ष	नवे अध्यर्पण	वर्तमान अध्यर्पण	नये अध्यर्पण	वर्तमान अध्यर्पण	नये अध्यर्पण	वर्तमान अध्यर्पण	(यदि कोई संख्या हो)	संख्या	साक्ष		
स्तंभ	स्तंभक्ट क	ख	F	료	Ún	ব	В	ক	ю	ю	S=8+2+5-8-
चालू वर्ष											k
पहला पूर्ववर्ती वर्ष											
दूसरा पूर्ववती वर्ष											
तीसरा पूर्ववर्ती वर्ष											
चौया पूर्ववर्ती वर्ष											

ने आंकड़े/राशियाँ रुपये में हैं।

ी आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रविष्ट करना होगा।

प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है ।

(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)	
(नियुक्त बीमांकिक के हस्ताक्षर)	

(नियुक्त बींपांकिक का नाम)

(वर्ष) (माह) (दिन) दिनाक :

(प्रधान अधिकारी का नाम)

फार्म एलआर-4 : वर्ष के लिए कोटा शेयर संधि का विवरण* इनपुट पुनबीमा 4

इस फार्म का उद्देश्य बीमाकर्ता द्वारा दाखिल की गई कोटा शेयर संधियों का विवरण प्राप्त करना है। यह वर्तमान फार्म एलआर-४ के आधार पर पुन: निर्मित फार्म है । इस विवरणी की आवृत्ति वार्षिक है । प्रयोजन और उद्देश्य

फिल्टर और मानदंड वर्गीकरण : वर्षः

बीमाकर्ता का नाम :

श्रेणी:

सम्मिलित किये गये बीमा उत्पादों की संख्या : सम्मिलित किये गये उत्पादों का नाम : संधिका नाम: संधि का वर्ष :

निकाली गई जोखिम :

अधिक जोखियों को जोड़ने के लिएयहाँ किलक करे

अधिक उत्पाद जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करी

क) सामान्य जोखिषे : सकल जोखिम अंकन सीमा :

ख) अवमानक जोखिमें :

भुद्ध प्रतिवारण :

क) सामान्य जोखिम :

सकल सीमाओं से अधिक क्या कोई आधिक्य संधि परिचालित है : ख) अवमानक जोखिम :

अध्यर्पण प्रतिशत :

..... प्रतिशत हाँ / नही

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है ।	पुनर्बीमाकर्ता का नाम संधि में शेयर दलाल का नाम, य	ग) समयपूर्व समापन पर दंड :	ख) प्रतिबंध और समापन :	क) सूचना अपेक्षित :	भ्रमापन :	ग) देय क्याज :	ख) मुक्त करने की पद्धति :	क) प्रतिधारण का आधार और प्रतिशत :	भारिक्षत निर्धा / जमाराशियाँ :	घ) जीवनों की न्यूनतम संख्या :	ग) आगे ले जाई गई हानि का प्रावधान :	ख) प्रबंध व्यथ के लिए कटौती :	क) प्रतिशतः	लाभ कमीशन :	पुनर्बीमा कमीशन :	पुनर्बीमा की शर्ते (समानुपात सहित):	संबंधित अनुसूची संलग्न करें (यदि लागू हो) :	ख) अनुसूची के अनुसार (अनुसूची संलग्न करें) :	The state of the s
	दलाल का नाम, यदि कोई हो																		

16			THE GAZETTE OF I	NDIA : EXTRAORDINARY	[
	(प्रथान अधिकारी के हस्ताक्षर)	(प्रचान अधिकारी का नाम)	(दिन) (माह) (वर्ष)		
			(<u>F</u>		7
	(नियुक्त बीमांकिक के हस्ताक्षर)	(नियुक्त बीमांकिक का नाम)	टिप्पणी : •बीमाकतों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक संबि के लिए अलग एलआर-4 फार्म प्रस्तुत करे । सभी आंकड़े/राशियों हेग्यें में हैं । सभी आंकड़े/राशियों को पूर्णाकों में प्रविष्ट करना होगा।		

Ì		설	1	S	4	3	2	-		#					3	यह	यह	योज	丑
(नियुक्त बीमां	(नियुक्त बीर्माकिक के हस्ताक्षर)	हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है।	सभी आंकड़े / राशियों रुपये में हैं। सभी आंकड़े/राशियों को गूर्णाकों में प्रविष्ट करना होगा।	चौथा पूर्ववर्ती वर्ष	तीसरा पूर्ववर्ती वर्ष	दूसरा पूर्ववर्ती वर्ष	पहला पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	स्तंभ कूट	â		वर्गीकरण :	संधिका नाम :	वर्ष:	फिल्टर और मानदंड	यह फार्म वार्षिक है।	यह वर्तमान फार्म एलआर-5 के आधार पर पुनःनिर्मित फार्म है।	प्रयोजन और उद्देश्य इस फार्म का प्रयोजन कोटा शेयर संधि के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय का डेटा प्राप्त करना हे ।	फार्म एलआर-5 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कोटा शेवर संधि का परिणाम
(नियुक्त बीमांकिक का नाम)	क्रक के हस्ताक्षर	। हमारे अभिलेख	वेष्ट करना होगा						9	नव अ <u>श्र</u> ्य	पुनवामित जीवनी की संख्या						गर पर पुनः निर्मित	धि के लिए पुनर्व	भ
		ों के अनुसार स	1						d	अध्यर्पण	ना का सख्या						त फार्म है।	र्मा व्यवसाय व	समाप्त वर्ष
		त्य और सही है							4	अध्यर्पण	पुनबामित राशि	3						न डेटा प्राप्त क	के लिए को
									ø	अध्यर्पण	म							स्ताहे।	ोटा शेवर सं
									Ø	अध्यर्पण	पुनबामा प्रामियम								धि का परिण
दिनांक : (दिन)	; ; ; ; ; ;								ष	वतमान जल्ल्यका	ामयम	श्रेणी :	पुनर्वीमाक	बीमाकर्ता का नाम :				1	1
	(प्रधान ३								ଷ	(यदि कोई हो)	पुनबामा		पुनर्बीमाकर्ता का नाम * * :	तनाम :					
(प्रधान अधिकारी का नाम) (माह) (वर्ष)	(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)								회	9	अदा किये गर								
यम्)	तक्षर)								ч		अदा किये गये पुनर्वीमा दावे								
									a	9	नाम								
									ਫ=छ+ਟ+ਰ-ङ- च		श्रोब				1				

इनपुट पुनबीमा 6

फार्म एलआर-6: वर्ष के लिए हानि आधिक्य/आपाती संधि का विवरण*

प्रयोजन और उद्देश्य

ड्स फार्म का उद्देश्य बीमाकर्ता द्वारा दाखिल किये गये हानि आधिक्य / आपती संधियों का विवरम प्राप्त करना है । यह वर्तमान फार्म एलआर-6 के आधार पर पुन: निर्मित फार्म है ।

इस विवरणी की आवृत्ति वार्षिक है।

किल्टर और मानदंड

ਰ ਜ਼

वर्गिकरण :

बीमाकर्ता का नाम : श्रेणी :

संधि का नाम :

संधिका वर्षः

संरक्षित संविभाग :

संविभाग के लिए प्रति जीवन जोखिम पर अधिकतम राशि :

संधि रक्षाः क) परिचालन का आधारः

ख) सुरक्षा की सीमा :

ग) हानि प्रतिधारण :

एक वर्ष में अधिकतम पुन:प्राप्य :

हानि आधिक्य प्रीमियमः क) आधारः

ख) दर :

ग) न्यूनतम राशि : घ) जमा प्रीमियम :

ङ) पुनःस्थापन प्रीमियम :

च) अनुभव वापसी :

: 44144

क) नोटिस अपेक्षित :

ख) समापन पर प्रतिबंघ :

.हाँ / नही

सूची :	-16.5.5	6.363
पुनर्वीमाकर्ता का नाम	संधि में शेयर	दलाल का नाम, यदि कोई हो
त करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार (नियुक्त बीमांकिक के हस्ताख़र)	सत्य और सही है ।	(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)
		(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर) (प्रधान अधिकारी का नाम)
(नियुक्त बीमांक्षिक के हस्ताक्षर)		

सभी आंकड़े/ राशियों को पूर्णांकों में प्रविष्ट करना होना।

फार्म एलआर-7 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए हानि आधिक्य/आपाती संधि का परिणाम इनपुट पुनबीमा 7

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्म का प्रयोजन हानि आयिक्य/आपात संधि के लिए पुनर्बीमा के व्यवसाय का आंकड़े प्राप्त करना है ।

यह वर्तमान फार्म एलआर-7 के आधार पर पुन:निर्मित फार्म है ।

यह फार्म वार्षिक है।

फिल्टर और मानदंड

वर्गीकरण :

बीमाकता का नाम :

श्रेवी:

ज=ग +छ-क-ख अदा किथे गये पुनर्बीमा संबंधी दावे साशि 13 मंख्या 디 पुनबीमा कमीशन (यदि कोई हो) F वर्तमान अध्यर्पण पुनर्बीमा प्रोपियम नये अध्यर्पण 18 स्तंभ कृट 哥 पहला पूर्ववर्ती वर्ष तीसरा पूर्ववर्ती वर्ष दूसरा पूर्ववर्ती वर्ष चौष्टा पूर्ववर्ती वर्ष चालू वर्ष

समी आंकड़े/राशियों को पूर्णाकों में प्रविष्ट करना होगा। सभी आंकड़े/राशियाँ रुपये में हैं।

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है।

(नियुक्त बीमांकिक के हस्ताक्षर)

(प्रधान अधिकारी के हस्ताझर)

(प्रधान अधिकारी का नाम)

(नियुक्त बीमांकिक का नाम)

यह फार्म संवियों और पुनर्बीमाकतांओं के सभी संभव संयोजनों के लिए भरा जाना चाहिए। अत: यदि ''संधि 1'' में 2 विभिन्न पुनर्बीमाकर्ता टिप्पणी :

(हिनकि)

"पुनर्बीमाकतां 1" और "पुनर्बीमाकतां 2" शामिल हैं, तो यह फार्म दो बार प्रस्तुत किया जाएगा।

फार्म एलआर-8 : 30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर/31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए पुनर्बीमा खाते इनपुट पुनर्बीमा 8

इस फार्म का प्रयोजन सभी संधियों के लिए पुनर्बीमा के व्यवसाय का आंकड़ा प्राप्त करना है। प्रयोजन और उद्देश्य

यह वर्तमान फार्म एलआर-8 का पुनः निर्माण है । कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

यह फार्म तिमाही है।

फिल्टर और मानदंड

वर्षः बीमाकर्ता का नामः

雪: उप वर्ग :

तिमाही : वर्गीकरण : प्रभाग :

समूह

#	विवर्णा		राशि (रुपये '000 में)
		उद्धे मध्य	ŀe
16	अध्यपित व्यवसाय		
1	खाते का प्रारंभिक श्रेष		
2	घटाएँ		
2.1	अदा किया गया सकल पुनर्बीमा प्रीमियम		
2.ii	+-		
3	ओड़		
3.i	पुनर्वीमाकता से प्राप्त कमीशन		
3.ii	-		
3.111	1-		
4	खाते का अंतिम शेष		
S	तिमाही के दौरान बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त कुल ग्रीमियम		
9	बीमाकतो द्वारा तिमाही के दौरान भुगतान किये गये कुल दावे		
100	स्वीकृत व्यवसाय		
1	खाते का प्रारंभिक शेष		
7	बोहे		
	। अर्पणकर्तां कंपनियों द्वारा अदा किया गया सकल पुनर्बीमा प्रीमियम		
	ii अर्पणकर्तां कंपनियों से कोई अन्य भुगतान (कृपया विनिर्देष्ट करें)		
3	मटाएँ		
1	i अर्पणकर्तां कंपनियों को अदा किया गया कमीशन		
	ii अर्पणकर्ता कंपनी को अदा की गई दावों संबंधी राशि		
	iii अर्पणकता कंपनियों को कोई अन्य भुगतान (कृपया विनिद्धि करें)		
4	खाते का अंतिम शेष		

(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)	(प्रथान अधिकारी का नाम)
(नियुक्त बीमांकिक के हस्ताक्षर)	(नियुक्त बीमांकिक का नाम)

पुनर्बीमा दर डेटा अपलोडिंग के लिए फार्म इनपुट पुनर्वीमा 9

प्रयोजन और उद्देश्य इस फामेंट का प्रयोजन बीमाकर्ता से पुनर्बीमा दरों संबंधी डेटा प्राप्त करना है। यह एक डेटा लोडिंग फार्मेट है जिसे बीमाकर्ता द्वारा वर्ष में एक बार लोड किया जाएगा।

फिल्टर और मानदंड बीमाकर्ता का नाम :

तिमाही :

वर्गीकरण :

#	संधि का नाम	पुनबीमाकतो का नाम	पिछले जन्म दिवस पर आयु / आयु वर्ग	विंग	पुनर्बीमा दर
	संभ कूट	ഩ	ন্ত্ৰ	ग	म
Ţ					

सभी आंकड़े/राशियाँ रुपये में हैं।

सभी आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रविष्ट करना होगा।

बकाया वसूलियाँ

साधि

त=घ +ख +ख

(लाख रुपये) कुल त कुल

इनपुट पुनर्बीमा 10 बकाया वसूलियों का विवरण - बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए

यह फार्म पुनर्वीमाकतिओं के लिए बकाया वसूलियों संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए हैं । यह फार्म प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । यह फार्म पूर्णतया नया है तथा आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित किया गया है। प्रयोजन और उद्देश्य

इस विवरणी की आवृत्ति वार्षिक है।

फिल्टर और मानदंड

बीमाकर्ता का नाम :

व्यवसाय की श्रेणी :

	विवादग्रस्त वसूलियाँ	साकृ	П	
स्थापन	वर्ष के अंत में वसूलियाँ	राशि	의 : 여 - 여 - 여	
ऐक्छिक पुनर्बीमा स्थापन	वर्ष के दौरान की गर्ड	वसूल्लया	lıo	
施	वर्ष के दौरान नई		ю	
	प्रारंभ में बकाया वसूलियाँ	राशि	N	
	विवादशस्त वसूलियाँ	साक्षा	la l	=
संधि	वर्ष के अंत में वसूलियाँ	साक्षा	रा व क्षे ॥ + जा	
हानि आधिक्य संधि	वर्ष के दौरान की गई	राष्ट्रि	च च	
E	वर्ष के दौरान नई	राशि	150	
	प्रारंभ में बकाया वसूलियाँ	साक्षि	न	
	विवादः)स्त वसूलियाँ	साक्षा	þio	
趣	वर्ष के अंत मे वसूलियाँ	साक्षा	॥ च च च च च च 	
आनुपातिक संधि	वर्ष के वर्ष के दीरान दीरान नई की गई	वसूलिया	=	
	वर्ष के दौरान नई	वसूर्लिया राशि	[z]	
	प्रारंभ में बकाया वसूलियाँ	साधि	ŀ	
	पुनबीमाकता का नाम		स्पेम कूट	
	*			

कुल दावा 18

स्तंभ कृट पुनवीमाकता

्र*पुनर्वाम*्रा मा की वसूलीयोग्य राशियों की समय-स्थिति का डेटा

ह इनपुट फार्म पुनर्वीमा की वसूलीयोग्य राशियों का विवरण विभिन्न समय-खंडों के अनुसार उसकी समय-स्थिति के साथ प्राप्त करने के लिए है । न और उद्देश्य

त्र विवरणी की आवृत्ति तिमाही हैं । र और मानदंड

व्यवसाय की श्रेणी : बीमाकता :

र्पत पुनवींमा

वर्गीकरण :

संधिका प्रकार :

तिमाही :

तक पुनबींमाकताओं से लंबित पुनबींमा वसूलियों संबंधी सूचना

अस	गाधारण ,	_	 		 	 _	
आंकड़े करोड़ में	E 60						
	10 10						
	3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लंबित						
	1 वर्ष से 3 वर्ष तकलेखित						
	6 महीने से कम 6 महीने से 1 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक लंबित तक लंबित तक लंबित अवधि के लिए लंबित						
	6 महीने से कम लंबित						
	पंजीकरण/ पर्यवेक्षण प्राधिकरण का विवरण						
	पंजीकरण संख्या						
	रेटिंग एजेसी						
	रिटेंग						
	पुनर्धीमाकतो का नाम और पता						
	संख्या						

र्मा कार्यक्रम विवरण - आवक ं पुनवीमा 12

न आर अहश्य हड्डनपुट फार्म पुनर्बीमा कार्यक्रम का विवरण ग्राप्त करने के उ विवरणी की आवत्ति वार्षिक है।		निर्	
६१४व फार्म पुनर्वीमा कार्यक्रम का विवरण प्राप्त गि की आवत्ति वार्षिक है ।		中	
६१थ फार्म पुनर्बीमा कार्यक्रम क गि की आवत्ति वार्षिक है ।		9	
६१थ फार्म पुनर्बीमा कार्यक्रम क गि की आवत्ति वार्षिक है ।		PIK	
६१थ फार्म पुनर्बीमा कार्यक्रम क गि की आवत्ति वार्षिक है ।		विवर्	
हरूय फार्म पुनर्बीम गिकी आवति		16	-
हरूय फार्म पुनर्बीम गिकी आवति		विक्र	विक है
हरूय फार्मपु तिकीः		मक	
न आर उद्दश्य इड्नपुट फार्म । न विवरणी की		गुनवी	आवि
न आर उ इड्नपुट इड्नपुट	694	कार्म	A ST
1 10 1	1143	मुद्	dad
	7	10	मि

व्यवसाय की श्रेणी :

र और मानदंड वर्षः बीमाकर्ताः

	वीमांकर्ता :			(फपये लाख मे)
		संधि के आधार पर पिछले (समाप्त हो रहे) वर्ष का आंकड़ा		
	辞す	समाप्त हो रहा वर्ष	प्रस्तावित वर्ष	दिया गया अंतिम रका
1	2कें मध्य	Æ	B	F
1	वर्तमान पुनर्वीमा व्यवस्थाएँ (आरी रहने के लिए प्रत्याशित/नई/अन्य व्यवस्थाएँ)			THE RANGE THE PROPERTY OF THE
	पुनबीमाकर्ता का नाम			
7	संधि का प्रकार			
3	प्रतिवारण सीमा			
4	कटीतीयोग्य			
ıů	पुनर्बीमा व्यवस्थाएं (स्थोरा प्रस्तुत करें)			
9.	पुनर्बीमा कमीशन			
	लाम कमीशन			
00.	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो)(व्योरा प्रस्तुत करें)			
6	9 ऐसे परिवर्तन के लिए तकधार			

कुल प्राप्त दावे	साक्षि	
कुल दावे	साक्रि	
प्राप्त कमीशन		
प्रीमियम	भारत के बाहर	
अध्यपित	भारत के अंदर	
वसूल किया गया कुल प्रीमियम		
माकता		

न पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के लिए पुनर्बीमाकर्ता का विवरण

					5	
			स्तंभ कृट	ŀs		TO TO
2(i) आवक पुन र्वी मा	बींगा					
2.i.1 बीमाकर्ता का नाम	का नाम		4			
2.i.2 पुनर्बीमाक	पुनर्बीमाकतों के लिए प्रत्याशित जोखिम का स्वरूप					
2.1.3 संधिकाप्रकार	कार					
2.1.4 उत्पादों का	उत्पादों का प्रकार/सूची					
2.i.5 अर्पणकता	अर्पणकर्ता की प्रतिथारण सीमा					
-	अर्पणकर्ता के लिए कटौतीयोग्य					
2.1.7 पुनर्बीमाळ	पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (ब्योरा प्रस्तुत करें)					
2.i.8 पुनबीमा कमीशन	,मीशान					
2.1.9 लाभ कमीशन	भ ान					
2.і.10 कार्यक्रम	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो)(स्योरा प्रस्तुत करें)					
2.1.11 ऐसे परिवर	ऐसे परिवर्तन के लिए तकथार					
पुनर्बीमा के लिए पु	त्र पुनर्बीमा के लिए पुनर्बीमाकर्ता का विवरण					
माकर्पा	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	अध्यपि	अध्यर्पित ग्रीमियम	प्राप्त कमीशन	कुल दावे	कुल प्राप्त दावे
		भारत के अंदर	भारत के बाहर		साक्ष	साक्षि
	IK STATES			चालू वर्ष	पिछ	पिछला वर्ष
			समिक्ट	le		19
2(!!) क्या आप	क्या आप पुनः अध्यर्पण का प्रस्ताव करते हैं? (यदि हाँ, तो निम्निलिखित क्यो	गोरा प्रस्तुत करें)		**E	→	
2.11.1 बीमाकर्ता	बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता का नाम					
2.ii.2 पुनर्बीमाक	पुनर्बीमाकर्ता के लिए प्रत्याशित जोखिम का स्वरूप					
2.ii.3 संधि का प्रकार	कार					
2.ii.4 उत्पाद (उ	उत्पाद (उत्पादों) की मूची					
2.11.5 अर्पणकत	अर्पणकर्ता की प्रतिषारण सीमा					
+	अर्पणकर्ता के लिए कटौतीयोग्य					
2.ii.7 पुनर्बीमा व	पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (स्थोरा प्रस्तुत करें)					
2.ii.8 पुनर्बीमा कमीशन	<u> त्रमीश्रान</u>					
2.ii.9 लाभ कमीशन	श्रन					
2.ii.10 कार्यक्रम	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो)(स्थोरा प्रस्तुत करे)					
2 11 11 ऐसे परिवत	ऐसे परिवर्तन के लिए तकथार					

A STATISTICS OF	and from my - African		44			
media	वसूल किया गया कुल प्रापयम		अध्यापेत प्रामियम	प्राप्त कमीशन	कुल दाव	कल प्राप्त दाव
		भारत के अंदर	र मारतकेबाहर		साक्षा	साक्ष
. पुनवीमा 13						
मा कार्यक्रम विवरण - जावक	ग - जावक					
। और उद्देश्य						
त्नपुट फार्म पुनर्बीमा का	इनपुट फार्म पुनर्बीमा कार्यक्रम का विवरण प्राप्त करने के लिए है।					
विवरणी की आवृत्ति वार्षिक है।	4 E					
.और मानदंड						
वर्षः			हिं	व्यवसाय की श्रेणी :		
बीमाकर्ता :						
		संघि के आ	संधि के आधार पर पिछले समाज हो रहे वर्ष के आंकड़े			
	()		समाल हो रहा वर्ष	एस्तावित वर्ष		
		स्तंभ कूट	Æ	ত্র		
1 वर्तमान पुनर्बीमा व्यव	वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (जारी रहने के लिए प्रत्याशित/नई/अन्य व्यवस्थाएँ)					
1 पुनबीमाकर्ता का नाम						
2 संधिकाप्रकार						
3 प्रतिधारण सीमा						
4 कटौतीयोग्य						
5 पुनर्बीमा व्यवस्थाएं (स्थोरा प्रस्तुत करें)	ब्योरा प्रस्तुत करें)					
5 पुनर्बीमा कमीशन						
लाभ कमीशन						
3 कार्यक्रम में परिवर्तन	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो)(ब्योरा प्रस्तुत करें)					
) ऐसे परिवर्तन के लिए तकाधार	तकाधार					
नर्बीमा व्यवस्थाओं के ि	गुनर्बीमा व्यवस्थाओं के लिए पुनर्बीमाकर्ता का विवरण					
कर्ता	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	SHE	अध्यर्षित प्रीमियम	प्राप्त कमीशन	कुल दाव	कुल प्राप्त दावे
		मारत के अंदर	भारत के बाहर		साक्ष	साक्षि

	1					,
#	, A		स्तंभ कट	क्ष	1.10	खं व
2(1)) जावक पूनवींमा					
	-					
	\rightarrow					
2.i.3						
2.i.4	4 उत्पादों का प्रकार/सूची					
2.i.5						,
2.i.6	- 1					
2.1.7	7 पुनर्वीमा व्यवस्थाएँ (ब्योरा प्रस्तुत करें)					
2.i.8						
2.i.9	९ लाभ कमीशन					
2.1.10	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो)(ब्योरा प्रस्तुत करें)					
2.1.11) ऐसे परिवर्तन के लिए तकांधार					
जावक पुनर्व	जावक पुनर्वीमा के लिए पुनर्वीमाकर्ता का विवरण					
पुनर्बोमाकर्ता	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	अध्यपि	अध्यर्षित प्रेपियम	प्राप्त कमीशन	कुल दावे	कुल प्राप्त दावे
#	क्षेत्र			चालू वर्ष	पिछ	पिछला वर्ष
			स्तंथ कूट	əl		ৰ
2(ii)) वया आप पुनः अध्यर्पण का प्रस्ताव करते हैं? (यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्योरा प्रस्तुत करें)	थोरा प्रस्तुत करें)		हार		
2.ii.1						
2.11.2	2 पुनर्बीमाकर्ता के लिए प्रत्याशित जोखिम का स्वरूप					
2.ii.3	3 संधिका प्रकार					
2.ii.4	4 उत्पाद (उत्पादी) की सूची					
2.ii.5	s अर्पणकर्ता की प्रतिधारण सीमा					
2.ii.6	6 अर्पणकर्ता के लिए कटौतीयोग्य					
2.11.7	7 पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (ब्योरा प्रस्तुत करें)					
2.ii.8						
2.11.9						
2.ii.10	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो)(क्योरा प्रस्तुत करें)					
2.ii.11	ऐसे परिवर्तन के लिए तर्काधार					

पुनः अध्यर्पण क	पुन: अध्यर्पण की स्थिति में पुनर्बीमाकर्ता का विवरण	िका विवरण									
पनवासाकता		वसुल किया	वसुल किया गया कुल प्रीमियम		zate	अध्यर्पित प्रीपियम		प्राप्त	प्राप्त कमीशन	कुल दावे	कुल प्राप्त दावे
•					मारत के अंदर	HIL	भारत के बाहर			साक्षा	साक्षि
विवरण 1										/	•
¥			विवर्ण 1 :	कोस	विवरण 1 :को समाज तिमाही के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय से संबंधित सांख्यिकी का विवरण	पुनर्बीमा व्यवसार	य से संबंधित सांख्यिक	ी का विवरण			
कंपनी का नाम		र्यालिसः	र्पेलिसियों की संख्या	जीवनो व	जीवनों की संख्या	उपगत दा	उपगत दावों की संख्या	निषटाये गये	निपटाये गये दावों की संख्या	बकाया दा	बकाया दावों की संख्या
	उत्पाद का नाम	केल	पुनर्बीमाकृत	केल	पुनबीमाकृत	किल	पुनर्वीमाकृत	केल	पुनर्षीमाकृत	कुल	पुनर्बीमाकृत
	16										
	EQ.										
	1										J.
	घ			,						*:	

월

उत्पाद का नाम

पहचान संख्या विशिष्ट

नॉन-लिंवड /वीआईपी लिंवड/

> लामसहित/ लाभरहित

प्रारंभ करने का दिनांक

बीमित राशि-न्यूनतम

बीमित राशि अधिकतम

चालू वर्ष

चालू वर्ष-2

पुनर्बामा अध्यर्पित

औसत बीमित राशि चालू वर्ष-1

विवरण 2 : प्रचलित पॉलिसियों का पुनर्बोमा विवरण

सामूहिक वैचित्तक/

पुनर्बीमा की पद्धति	प्रतिधारण सीमाएँ	मार्दै	बीमित व्यक्ति की		कुल सकल प्रीमियम	स्यम	सका प्रीमियम/र	सकल प्रीमियम में कुल जोखिम प्रीमियम/लगाये गये मृत्यु/अस्वस्थता प्रभार	ल जोखिम अस्वस्थता प्रभाग		कुल अध्यर्षित प्रीमियम	ति प्रीरि
	चालू वर्ष -1	1 अधिकतम सीमा	सभी पाँलिसियाँ या एकल पाँलिसी के तिथे लागू प्रतिधारण	चालू वर्ष ं	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	चा लू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष वर्ष	चालू वर्ष-1	4 -1
सकल प्रेमियम में जोखिम प्रीमियम/लगा गये मृत्य/अस्वस्थता प्रभार का प्रतिशत	सकल प्रेमियम में जोखिम प्रोमियम/लगाये गये मृत्य/अस्वस्वता प्रभार का प्रतिशत	सकल प्रीमि पुर	सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में पुनर्बीमा प्रीमियम		जोखिम प्रीमियम/मृत्यु/अस्वस्थता प्रभार के प्रतिशत के रूप में पुनर्बीमा प्रीमियम	खिम प्रोमियम/मृत्यु/अस्वस्थता प्रभाग प्रतिशत के रूप में पुनर्बोमा प्रीमियम		पहले वर्ष का पुनर्बीमा कमीशन, यदि कोई हो	कमीशन, यदि		परवर्ती वर्षों का पुनर्बीमा कमीशन, यदि कोई हो	1 T
चालू वर्ष चालू वर्ष-1 चालू र लाभ कमीशन अथवा कोई अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो	चालू वर्ष-1 चालू वर्ष-2 भिगन अथवा कोई अन्य मिकः, यदि कोई हो	चालू वर्ष बीमाकर्ता वे प्रतिशत के रूप	चालू वर्ष चालू वर्ष-1 चालू वर्ष-2 बीमाकर्ता के लिए कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में सकल प्रीमियम (उत्पाद		चालू वर्ष चालू वर्ष-1 चालू व बीमाकर्ता के लिए कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कुल जोखिम	चालू वर्ष-1 चाल् लिए कुल प्रीपियम वे रूप में कुल जोखिम	4	ध चालू वर्ष चालू वर्ष-1 वेमाकर्ता के लिए कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कुल पुनर्वीमा	립	रू वर्ष-2 चालू वर्ष वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की	वर्ष चाल् वर्ष-1 पुनर्बीमा दर्शन और आधिक्य पर	4 1 7
चालू वर्ष चालू वर्ष-1	वर्ष-1 चालू वर्ष-2	ঘালু বৰ্ছ	चालू वर्ष-1 चाल्	चालू वर्ष-2 च	चालू वर्ष चालू	चालू वर्ष- 1 वर्ष-2	चानू वर्ष	वर्ष-1	वर्ष ₋₂ अभे अ. जु. मूर्ड . घ	प्रतिथारण दर्शन, जोखिम प्रबंध कार्यनीतियो पूँजीगत अपेक्षाओं, हामीदारी (जीखिम अंकन) आदि के के संबंध में नियुक्त	लामसहित पॉलिसिवों के संबंध में नियुक्त बीमांकिक की टिप्पणी	화례하

पुनर्वीमा का प्रकार

उपरोक्त विवरण बंदोबस्ती / आजीवन / मनी बैंक / स्वास्थ्य / पॅशन / साविध / अन्य के लिये पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाएंगे।

विवरण 3: वापस ली गई पॉलिसियों का पुनर्बीमा विवरण

विवस्ण 3

			THE GAZETTE OF IN
प्रकार		त्यम	चालू वर्ष-2
ते-विस् ते-विस्		न अध्यपित प्रीमि	चालू वर्ष. 1
चालू वर्ष-2		62	मालु वर्ष
चालू वर्ष-1		बोखिम वस्थता प्रमार	चालू वर्ष-2
चालू वर्ष		गियम में कुल ज ये गये भृत्यु/अस्व चालू वर्ष-1	चालू वर्ष- 1
बोमित राशि		सकल प्र ग्रीमियम/लगा	वालु वर्ष
बोमित राशि			चालू वर्ष-2
का दिनांक		न सकल प्रीमियः	चाल् वर्ष- 1
सामूहिक		6	चालू वर्ष
ભામ <i>ર</i> િકત		बीमित व्यक्ति की	सभी प्रतिसियों या एकत प्रतिसी के तिये लागू प्रतिधारण
नॉन-लिंबड /वीआईपी			अधिकतम सीमा
पहचान संख्या (यूआईएन)		ातिबारण सीमाएँ	चालू वर्ष- 1
		p.	चालू वर्ष
·#		पुनबीमा की पद्धति	(A)
	पहचान नॉन-लिंकड लामरहित सामूहिक का दिनांक बीमित राशि वीमित राशि चालू वर्ष-1 चालू वर्ष-2 पुनर्वीमा संख्या /वीआईपी (यूआईएन)	पहचान नॉन-लिंग्ड लामरहित सामूहिक का दिनांक बीमित राशि चालू वर्ष चालू वर्ष-1 चालू वर्ष-2 पुनर्वीमा संख्या /वीआईपी (यूआईएन)	पहचान नॉन-लिंग्ड लामरहित सामूहिक का दिनांक बीमित राशि चालू वर्ष चालू वर्ष-1 चालू वर्ष-2 युनर्धीमा संख्या /वीआईपी वालू वर्ष-1 चालू वर्ष-2 युनर्धीमा चालू वर्ष-1 चालू वर्ष-2 युनर्धीमा चालु वर्ष -1 चालु वर्ष -1 चालु वर्ष-2 युनर्धीमा चालु वर्ष -1 चालु वर

मीशन, यदि	चालू वर्ष-2
का पुनर्बामा क कोई हो	चालू वर्ध-1
परवर्ती वर्षों का पुनब कोई	चालू वर्ष
ान, यदि कोई	चालू वर्ष-2
पुनर्बीमा कभीश हो	चालू वर्ध-1
पहले वर्ष का पु	चालू वर्ष
अस्वस्थता प्रभार के नर्बीमा प्रीमियम	चालू वर्ष-2
यम/मृत्यु/अस्वन ऽ रूप में पुनर्बीम	चालू वर्ष-1
जोखिम प्रीमिन प्रतिशत वे	चालू वर्ष
के रूप में	चालू वर्ष-2
मयम के प्रतिशत के रूप मे नुनर्बीमा प्रीमियम	चालू वर्ध-1
सकल प्रीति	चालू वर्ष
मियम/लगाये का प्रतिशत	चालू वर्ष-2
म में जोखिम प्रीमि स्वस्थता प्रभार क	चालू वर्ष-1
सकल ग्रीमिय गये मृत्यु/अ	चालू वर्ष

लाभ क पारि	लाभ कमीशन अथवा कोई अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो	कोई अन्य होई हो	बीमाकत प्रतिशत के	बीमाकर्ता के लिए कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में सकल प्रीमियम (उत	ग्रीमियम के मियम (उत्पाद	बीमाकर्ता है प्रतिशत वे	बीमाकर्ता के लिए कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कुल जोखिम	तिमियम क ओखिम	बीमाकतीं के ि प्रतिशत के स	माकर्ता के लिए कुल प्रीमियम र प्रतिशत के रूप में कुल पुनर्बीमा	लिए कुल प्रीमियम के रूप में कुल पुनर्बीमा	वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्वाओं की	पुन र्बी मा दर्शन और आधिवश पर	नियुक्त बाभाकिक
				विशेष)		ग्रीमियम अध	ग्रीमियम अथवा मृत्यु/अस्वस्यता प्रभार	स्थता प्रभार		ग्रामियम		तुलना में जोखिम	प्रमाय के तौर पर	(एए) की
चालू वर्ष	चाल वर्ष-1	चाल् वर्ष-2	चाल् वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष	चालू वर्ष-		चाल वर्ष	चाल	वाउ	प्रतिधारण दर्शन,	लाभसहित	टिप्पणी,
							-	वर्ष-2		वर्ष-1	वर्ष-2	जोखिम प्रबंध	पॉलिंसियों के	यदि कोई
												कार्यनीतियो	संबंध में नियुक्त	TE
												पूँजीगत अपेक्षाओं,	बीमांकिक की	
					-							हामीदारी (जोखिम	हिष्मणी	
	_											अंकन) आदि के		
												के संबंध में नियुक्त		
												बीमांकिक की		
					×							टियाणी		

उपरोक्त विवरण बंदोबस्ती / आजीवन / मनी बैंक / स्वास्थ्य / पेंशन / सावधि / अन्य के लिये पृथक रूप से प्रस्तुत किये आएंगो

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

Hyderabad, the 11th February, 2013

Insurance Regulatory and Development Authority (Life Insurance-Reinsurance) Regulations, 2013

F. No. IRDA/Notification/17/75/2013.— In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938, read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee hereby makes the following regulations, namely:

Short title and commencement.—

- a. These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Life Insurance Reinsurance) Regulations, 2013.
- b. They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.
- 2. Definitions. --- In these regulations, unless the context otherwise requires:
 - a. 'Act' means the Insurance Act 1938 (4 of 1938);
 - b. 'Authority' means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 (41 of 1999);
 - c. 'Cedant' is an insurer who enters into a reinsurance contract or a reinsurer who enters into a retrocession contract;
 - d. 'Cession' means the part of insurance passed to a reinsurer by the insurer which issued a policy to the original insured;
 - e. 'Fronting' means a process by which a primary insurer cedes most of or all of the insurance risk to a reinsurer
 - f. 'Facultative' means the reinsurance of a part or all of a single policy in which cession is negotiated separately and that the reinsurer and the insurer have the option of accepting or declining each individual submission;
 - g. 'Reinsurance contract is the legally binding document on all the parties that provide a complete, accurate and definitive record of all the terms and conditions and other provisions of the reinsurance contract.
 - h. 'Retrocession' means the transaction whereby a reinsurer cedes to another insurer or reinsurer all or part of the reinsurance it has previously assumed;
 - i. 'Retention' means the portion of the risk which an insurer assumes for his own account.
 - j. 'Indian re-insurer' means an Indian insurance company which has been granted a certificate of registration under sub-section (2A) of section 3 by the Authority to carry on exclusively the reinsurance business in India;
 - k. 'pool' means any joint underwriting operation of insurance or reinsurance in which the participants assume a predetermined and fixed interest in all business written.
 - 1. 'Treaty' means a reinsurance arrangement between the insurer and the reinsurer, usually for one year or longer, which stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the reinsurance of some class or classes of business;
 - m. Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts as the case may be.

3. Reinsurance with Indian reinsurers:

- a. In accordance with Section 101 A of the Insurance Act, 1938, every insurer shall reinsure with Indian reinsurers such percentage of the sum assured on each policy as may be specified by the Authority by notification.
- b. Provided that no percentage so specified shall exceed thirty percent of the sum assured on such policy and
- c. Also different percentages may be specified for different classes of insurance and
- d. Also specify the proportions in which the said percentage shall be allocated among Indian reinsurers.
- e. For the purpose of this regulation, an Advisory Committee shall be constituted in accordance with the Section 101B of the Insurance Act, 1938 consisting of not more than five persons having special knowledge and experience of life insurance business.

4. Procedure to be followed for reinsurance arrangements.---

- a. The Reinsurance Programme of every insurer/reinsurer shall be guided by the following objectives to:
 - i. Maximize retention within the country;
 - ii. Develop adequate capacity;
 - iii. Secure the best possible protection for the reinsurance costs incurred;
 - iv. Ensure that the reinsurance policy does not lead to fronting of insurance business;
 - v. Simplify the administration of business.
- b. Every life insurer shall draw up a programme of reinsurance in respect of lives covered and the profile of such a programme, duly certified by the Appointed Actuary and approved by the Board of Director, shall be filed with the Authority, at least forty five days before the commencement of each financial year, by the insurer, which shall include:
 - i. For new insurers: their proposed reinsurance arrangements in relation to their capitalisation, proposed classes of business and retentions; their reinsurers and ratings for the past five years; and control systems.
 - ii. For existing insurers:
 - 1. The proposed reinsurance arrangements in relation to their capitalisation, proposed classes of business and retentions; their reinsurers, shares and ratings for the past five years and
 - 2. An annual review of existing reinsurance arrangements, including:
 - a. In relation to the risk exposures for each class of insurance business written: Retention limits, comparison to the Regulatory Reporting Retention Limits in Regulation 6, and the types of cover provided by treaties;
 - b. Reinsurance control systems for monitoring exposures and making cessions and claims recoveries;
 - c. Major reinsurers, i.e. reinsurers accounting for more than 20 per cent of premiums ceded under any one reinsurance contract and reinsurers accounting for more than 5 per cent of premiums ceded in total.
 - d. The name(s) of the reinsurer(s) with whom the insurer has the reinsurance arrangements, their shares and their rating for the past five years.

Provided that the Authority may, if it considers necessary, elicit from the insurer any additional information, from time to time, and the insurer shall furnish the same to the Authority forthwith.

- c. The insurer shall ensure that the reinsurance arrangements in respect of catastrophe risks, using various realistic disaster scenario testing, are adequate and approved by the Board of Directors before filing the same with the Authority along-with the reinsurance programme.
- d. The insurer shall determine the credit risk and concentration risk of the reinsurance arrangements and explain the measures taken to mitigate such risks, if any, in the reinsurance programme.
- e. The Authority shall examine the reinsurance programme, the retention policy details as in Regulation 5 and the detailed report on regulatory reporting retention limits, if required under

Regulation 6, submitted along with the reinsurance programme to ensure, amongst others, that the:

- i. The objectives in sub-regulation 4 (a) are met;
- ii. The insurer's financial strength, the reinsurance policy, underwriting capacity, volume of the business etc are considered in arriving at the retention limits.
- f. If the reinsurance programme of the insurers is found to be inconsistent with the overall objective of this Regulation, the Authority for the purposes of calculating solvency, may allow a lesser credit for reinsurance in the sum-at-risk factor.
- g. For the purpose of (e) and (f), the Authority shall examine all the necessary justifications, the technical & financial strength of the insurer, all the supporting data and the reasons why such an arrangement would be required as submitted in the reinsurance programme.
- h. The Authority shall scrutinize such a programme of reinsurance as above, and may suggest changes, if it consider necessary, and the insurer shall incorporate such changes forthwith in his programme.

5. Retention Policy:

- a. Every insurer shall build the retention capacity within the company and formulate suitable retention policy for each type of product/risk on an ongoing basis and justify on an ongoing basis such retention policy in accordance with the emerging claims experience, financial standing, underwriting capacity etc. in the annual reinsurance programme submitted to the Authority.
- b. The above such retention policy of every insurer shall:
 - i. aim at retaining the maximum premium earned in India, maximizing the retention across products commensurate with his financial strength & volume of business and
 - ii. establish the above in the reinsurance programme as referred to in sub-regulation 4 (b).
- c. Insurers may be allowed to reinsure on quota share:
 - i. in the initial two years of starting operations for health insurance business and group term insurance business and
 - ii. in the initial two years of introducing a new risks/product for health insurance business and group term insurance business

Provided the minimum retentions in all such cases shall be at least as referred in Table: 6 (1) applicable to health insurance business and group term insurance business.

d. The Authority may require an insurer to further justify its retention policy and may give such directions as considered necessary.

6. Regulatory Reporting Requirements:

- a. If the retention levels of such retention policy for mortality / morbidity risks is less than the regulatory reporting retention limits stated in Table: 6 or the total reinsurance premium to the total premium received under a particular product exceeds 2% for all saving products and 30% for all term insurance/health products, in all such cases, the insurers shall report to the Authority along with the reinsurance programme for approval a detailed working for each product on:
 - i. The underwriting processes;
 - ii. Claims fluctuations and claims experience;
 - iii. Current retention levels;
 - iv. Their financial strength;
 - v. Volume of business;
 - vi. Capital requirements;
 - vii. Past claims payment history of the reinsurers;
 - viii. Capacity building measures taken in terms of building up capacity in underwriting, claims handling, risk management, pricing, valuation, etc. since introducing the risk; etc

<u>Table: 6</u>

Regulatory Reporting Retention Limits

S.No	Age of the insurer or year in which the risk is introduced**	Type of the products or riders	Retention limit on the sum at risk. Rs.
1	0 to 3 years both inclusive	Pure protection products like term insurance, personal accident products etc	5lakhs
		All kinds of savings products like endowment, ULIPS etc	10lakhs
		All kinds of group protection products	5lakhs
		All kinds of health insurance products, except personal accident products.	Hakhs
2	4 to 7 years both inclusive	Pure protection products like term insurance, personal accident products etc	10lakhs
		All kinds of savings products like endowment, ULIPS etc	20lakhs
		All kinds of group protection products	10lakhs
		All kinds of health insurance products, except personal accident products.	3 lakhs
3	8 to 11 years both inclusive	Pure protection products like term insurance, personal accident products etc	15lakhs
		All kinds of savings products like endowment, ULIPS etc	30lakhs
		All kinds of group protection products	15lakhs
	10.16	All kinds of health insurance products, except personal accident products.	3 lakhs
4	12 to 15 years both inclusive	Pure protection products like term insurance, personal accident products etc	20lakhs
		All kinds of savings products like endowment, Unit linked products etc	30lakhs
		All kinds of group protection products	20lakhs
		All kinds of health insurance products,	4lakhs
		except personal accident products.	TIUMIS
5	Above 15 years	The Authority may prescribe from time to t four types of products	time the limits for all the

** If the insurer is introducing the risk for the first time, in such cases the limits in # 1 would apply irrespective of the age of the insurer.

Provided further that the Authority shall review the Regulatory Reporting Retention Limits every two years and if necessary, may revise these limits upwards from time to time.

7. Submissions of Reinsurance Treaties:

- a. All reinsurance arrangements shall be documented and filed with the Authority within 30 days of commencement of the financial year.
- b. Within 30 days of the commencement of the financial year, every insurer shall also file with the Authority a copy of every reinsurance treaty contract in respect of that year together with the list of reinsurers, their ratings and their shares in the reinsurance arrangement. Provided that any change in the terms and conditions of the reinsurance treaty shall be filed with the Authority within 15 days of such changes.

8. Placement of Reinsurance Business:

- a. Insurers shall place their reinsurance business outside India with only those reinsurers who have over a period of the past five years counting from the year preceding for which the business has to be placed, enjoyed a credit rating of at least BBB (with Standard & Poor) or equivalent rating of any other international rating agency.
- b. Provided that placement of business by the insurer with any other reinsurer shall be with the prior approval of the Authority.
- c. Provided further that no programme of reinsurance shall be on original premium basis.

- d. Provided further that no life insurer shall have reinsurance treaty arrangement with its promoter company or its associate/group company, except on terms which are commercially competitive in the market and with the prior approval of the Authority, which shall be final and binding.
- e. The life insurers shall, before placing the business with the reinsurers, consider past claims performance of the reinsurers, as available, while accepting their participation in the reinsurance programme.

9. Submission of Returns:

- a. Every insurer shall be required to submit to the Authority information and returns relating to its reinsurance transactions as per Annexure I and in such other forms as the Authority may require or specify from time to time
 - Explanation: All the life insurers shall furnish the information and returns required as per Annexure 1:
 - i. In the case of forms which are to be submitted on an annual basis, with in 45 days from the close of each financial year.
 - ii. In all other cases, within 15 days from the close of each quarter/half-year as the case may be.

10. Inward Reinsurance Business:

- a. Every insurer wanting to write inward reinsurance business shall seek specific approval of the Authority providing all the business projections and all documentation as may be required for such business.
- b. Every insurer wanting to write inward reinsurance business shall have a well-defined underwriting policy approved by its Board of Directors for underwriting inward reinsurance business.
- c. An insurer shall file with the Authority, at least forty five days before the commencement of each financial year, its underwriting policy stating the classes of business, geographical scope, underwriting limits and profit objective.
- d. An insurer shall ensure that decisions on acceptance of reinsurance business are made by persons with adequate knowledge and experience, preferably in consultation with the insurer's Appointed Actuary.
- e. An insurer shall also file with the Authority any changes to the underwriting policy as and when a change is made duly approved by its Board of Directors.
- f. An insurer shall show all the receipts and payments like premiums, claims, etc. relating to reinsurance business accepted separately from direct insurance business.

11. Repeal and Savings:

- a. These Regulations repeal the Insurance Regulatory and Development Authority (Life Insurance Reinsurance) Regulations, 2000.
- b. Unless otherwise provided by these regulations, nothing in these regulations shall deem to invalidate the arrangements entered prior to these regulations coming into force.

J. HARI NARAYAN, Chairman [ADVT. III/4/161/12/Exty.]

66361/13-10

Annexure - 1

To-Be Forms & Reports for Reinsurance(Life) Department

Form Code	Form Name
INPUT REINSURANCE_1	Form LR-1: List of reinsurance treaties for the year
INPUT REINSURANCE 1.1	Summary of reinsurance treaties during the year
INPUT REINSURANCE 2	Form LR-2: Particulars of Surplus Treaty For the Year
INPUT REINSURANCE 3	Form LR-3: Result of Surplus Treaty for the Year Ended 31st March,
INPUT_REINSURANCE_4	Form LR-4: Particulars of Quota Share Treaty For the Year
INPUT REINSURANCE 5	Form LR-5: Result of Quota Share surplus Treaty for the Year Ended 31st March,
INPUT REINSURANCE_6	Form LR-6: Particulars of Excess of Loss cover/Catastrophe Treaty For the Year
INPUT REINSURANCE_5	Form LR-7: Result of Excess of Loss/catastrophe Treaty for the Year Ended 31st March,
INPUT REINSURANCE 8	Form LR-8: Reinsurance Accounts for the quarter ended 31st March/30th June/30th Sept/31st Dec
INPUT REINSURANCE_9	Data Uploading Format for Reinsurance Rate data
INPUT_REINSURANCE_9 INPUT_REINSURANCE_10	Details of Outstanding Recoveries - To be furnished by the insurer
INPUT_REINSURANCE_11	Aging data of reinsurance recoverables
INPUT_REINSURANCE_12	Reinsurance Program Details - Inward
INPUT_REINSURANCE_13	Reinsurance Program Details - Mward Reinsurance Program Details - Outward
Statements	Remisurance Program Details Outward
Statement 1	Statement of Reinsurance Statistics for the quarter ended
Statement 2	Reinsurance Details- Inforce
Statement 3	Reinsurance Details- Withdrawan
Statement 3	Itellisurance Details- Withdrawan
	\

This is a re-engineered form based or The frequency of this return is yearly Filters and Parameters Year		Name of Insurer	
Classification			
Treaty Details			1. Reinsurer 1 2. Reinsurer 2
Total No. of reinsurers Reinsurer Details			
110.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	of Company on mal? Correct Rating of Palmaines (in per SAA Site or applyment) Provides tel	Address of Reimarer	
We certify that the information furnit	thed above is true and correct as per our records;		
(Signature of Appointed Actuary			Signature of Principal Officer)
(Nama of Appointed Actumry)			Service of Principal Officer) Charter C

INPL	IT	REI	NSL	IRA	NCE	1.1
HIER AND HISTORY			ALCOHOLD TO	OTHER DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	The state of	ALC: UNKNOWN

Summary of reinsurance treaties during the year

Purpose and Objective

This form captures the summary of the treaties done by the insurers during the year

This is a new form created based on the requirements of the department.

The frequency of this return is yearly.

Filters and Parameters

Year	Name of Insurer	
		,
Classification	Category	

#	Particulars	Surplus Treaty	Quota Share Treaties	Excess of Loss Cover Treaty	Facultative	Catastrophe	Any Other(s)
	Column Code	а	b	C	d	е	
1	No. of treaties at the beginning of year						
2	No. of treaties added						
2.i	No. of modification						
3	No. of treaties terminated/suspended						201
4	No. of treaties at the end of the year						

Reinsurance Commission	b) Riders	a) Death and disablement risks (Please attach schedule)	Rates of Reinsurance Premium	c) Comidor	b) Sub Standard Risk	Surplus Treaty Limit a) Normal Risk	Basis of reinsurance	b) Sub-standard Risk	Net Retention a) Normal Risk	Basis of retention	Risk Excluded		Name of the products covered	No. of Life Insurance Products Covered	Treaty Year	Name of Treaty	Classification	Filters and Parameters Year	Purpose and Objective The objective of the form is to capture the details of the surplus treaties filed by the insurer This is a rengineered form based on the existing form IR-2 The frequency of this return is yearly.
		attach schedule)		第三年 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基基基基苯基苯基甲基甲基	松液棒學為医學者不過點非你是來和言事是與關節時間經過學	河南西亚州市市区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区	Choose one option	经证据的基础的复数形式的现在分词的最高的现在分词是是不是是一种的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人		Chadse one option	Click here to add more risks	Click here to add more products					Category	Name of Insurer	filed by the insurer

Profit Commission	6-1		
	a) Percentage		
	b) Deduction for management expense	GSLERMINERANCES - CAMPAGENIA (AMPS)	155
	c) Loss carried forward provision		
	d) Minimum no. of lives		COMM
Reserve/Deposits	a) Basis of retention and percentage		
	b) Method of release		
	c) interest Payable		
Termination		*	
The state of the s	a) Notice Required	人物概则	
	b) Restriction and Termination	2000年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,19	R L I R
	c) Penalty on early termination	计自己的分类的变形 机多氧化四氢的数数键数数数数数 数	國際難得
ist of reinsurers			
	Name of reinsure	Share in Treaty Name of Broker, if any	
	.00		
			4.
e certify that the info	rmation furnished above is true and correct as pe	per our records;	
		- L	
	(Signature of Appointed Actuary)	(Signature of Principal Officer)	
	(Name of Appointed Actuary)	(Name of Principal Officer)	
		CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	
		(Onte)	

All figures / amounts ore in Rupees

All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

(Name of Principal Officer)

(Name of Appointed Actuary)

d) Minimum no. of lives

b) Method of release

a) Basis of retention and percentage

Reserve/Deposits

INPUT_REINSURANCE_4 Form LR-4: Particulars of Quota Share Treaty For the Year* Purpose and Objective The objective of the form is to capture the details of the quota share treaties filed by the insurer This is a rengineered form based on the existing form LR-4 The frequency of this return is yearly. Filters and Parameters Name of Insurer Year Category Classification Name of Treaty Treaty Year No. of Life insurance Products Covered Name of the products covered Click here to add more products Risk Excluded Click here to add more risks Gross underwriting limit a) Normal Risks b) Sub Standard risks **Net Retention** a) Normal Risk b) Sub-standard Risk Y N. Any Surplus treaty operating on the top of the gross limits **%** Cession Percentage Treaty Limits Rate of reinsurance premium a) As Original (as per original terms) b) As per schedule (attach schedule) Attach the relevant schedule (if applicable) Terms of reinsurance (including proportion) Reinsurance Commission **Profit Commission** a) Percentage b) Deduction for management expense c) Loss carried forward provision

DD - MM - Y-YY

(Date)


Note

* Insurer needs to submit separete LR-4 forms for each treaty

All figures / amounts are in Rupees

All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

66361/13-12



(Name of Principal Officer)

OF - NO - EVEN IN IN IN

* Incures needs to submit separete UR-6 forms for each treaty All figures famounts and in Ropers

(Please of Appelished Actionsy)

All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

भाग III—खण्ड

4

भारत का राजपत्र : असाधारण

[PART III—SEC, 4]

8

Division in the last last	REINSURANCE_7 LR-7: Result of Exces	s of Loss/o	atastro	phe Treaty for the Yea	r Ended 31	st March,			
The This	and Objective purpose of the form is to collect the bi is a rengineered form based on the ex form is yearly.		einsurance for	r Excess of Loss/catastrophe Treaty					
Filters a	nd Parameters								
	Year						Name of Insurer		
	Classification					3 -	Category		
		Reinsurance	Premium		Reinsurance (Claims Paid			
#	Year	New Cessions	Existing Cessions	Reinsurance Commission (If Any)	Number	Amount	Balance		
	Column Code	a	b	C	f	g	h = c+g-a-b		
1	Current Year								
2	First Preceding Year								
3	Second Preceding Year								
4	Third Preceding Year								
5	Fourth Preceding Year / amounts are in Rupees			1					
All figures	:/amounts will have to be entered in a		d correct as	per our records;					
							(Signature of Principal Officer)		4.
	(Signature of Appointed Actuary)						(Signature of Frincipal Officer)		
	(Name of Appointed Actuary)						(Name of Principal Officer)		
							~4	9	
		=		(Date)			•		

Note

** This form should be filled up for all possible combinations of treaties and reinsurers. So in case, "Treaty 1" includes 2 different reinsurers - "Reinsurer 1" and

"Reinsurer 2", then the form will be submitted twice.

200

4]

Form LR-8: Reinsurance Accounts for the quarter ended 30th June/30th Sept/31st Dec/31st March The purpose of the form is to collect the business data of the reinsurance for all treaties This is a recreation of existing form LR-8. No change has been made. The form is quarterly Filters and Parameters Vest Name of insurer Category Sub Class Ceded Business Opening balance of the account Deduct 2.i Gross Reinsurance premium paid Any other payment to reinsurer (Please specify) 2.ii Commission received from reinsurer 3.i 3.ii Claims amount paid by reinsurer 3.iii Any other payment from reinsurer (Please specify) Closing balance of the account Total premium received by the insurer during the quarter Total claims paid during the quarter by the insurer Accepted Business Opening balance of the account Acid 2 Gross reinsurance premium paid by ceding companies Any other payment from the ceding companies (Please specify) 3 Commission paid to ceding companies Claims amount paid to ceding company Any other payment to ceding companies(Please specify) Closing balance of the account We certify that the information furnished above is true and correct as per our records; (Signature of Principal Officer) (Signature of Appointed Actuary)

(Date)

Note

For specifying any other amount, there will be option to insert a new row for the details

All figures / amounts are in Rupees

All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

(Name of Appointed Actuary)

(Name of Principal Officer)

INPUT_REINSURA	NCE 9		52.5	Charles A.
Form for upl		Reinsuran	ce R	ate data

Purpose and Objective

The purpose of this format is to capture the data on reinsurance rates from the insurer.

This is a data loading format which will be loaded by the insurer once a year

Filters and Paramete	rs
----------------------	----

Category

Year	Quarter	
Name of insurer	Classification	V

#	Name o		Name of reinsurer	Age last birthday/Age Group	Gender	Reinsurance rate
		Column Code	a	b	C	d
		4				
	·					

All figures / amounts are in Rupees

All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

INPUT REINSURANCE 10

Details of Outstanding Recoveries - To be furnished by the insurer

Purpose and Objective

This form collects information on outstanding recoveries for the reinsurers. This form would be furnished by each insurer This form is completely new and is created based on the requirements.

The frequency of this return is yearly

ilters and	d Paramete <u>rs</u>	
	Year	
	Name of insurer	
	Line of Business	

(Rs in Lakhs)

			Pro	ortional Tr	eaty			Excess	of loss cove	r treaty			Facul	tative Place	ement		
#	Name of reinsurer	ng at the beginning	s during	d during the year	end of the year	Recoverie s under	ng at the beginning	s during the year	d during the year	end of the year	Recoverie s under dispute	Recoverie s outstandi ng at the beginning	s during the year	d during	end of the year		
-	lumn Code		b	c	d=a+b-c	e	f	g	h	i=f+g-h	i	k	Amount	m	n=k+l-m	O	
LU	lumm code	a			u-u,b c			ь		1		12			III-KUT-III		-
	<u> </u>				1												
						-					10	1					
		<u> </u>	1														
	<u></u>	<u> </u>									!			L			

NPUT_REINSURANCE_11

Aging data of reinsurance recoverables

Purpose and Objective

This input form captures the details of reinsurance recoverables along with its aging as per different buckets The frequency of this return is quarterly

Filters and Paramet	ers
Year	Quarter
Insurer	Treaty Type
Line of Bu	lassificatio

Reinsurance Ceded

				111				4	Figure	es in Cror
S.no	Name and address of reinsurer	Rating	Kating agency	Registrati on number	Particular s of Registerin g / Superviso ry Authority	Pending for less than 6 months	Pending for 6 months to 1 year	Pending for 1 year to 3 year	Pending for more than 3 years	Total Recover s pendir
						-		-		-
-								7 1		
								-		
				200						6
				7						-
	-					6. 3-4	L==1			
	12									

[PART III—SEC. 4]

[भग III—खण्ड 4]

INPUT_REINSURANCE_12			BARRIET HE SERVE
Reinsurance Program Details - Inward			EU EUOSNUSEI
Purpose and Objective This input form captures the details of the reinsurance program The frequency of this return is yearly			
Filters and Parameters			
Year		1.00	
Answer			
	previous yr's (expiring) data based on treaty Expiring Year Proposed Leac		(Ny co-kelidea)
# Area Column Cad	Experies Vene Proposed Vene Se S		
1 Existing Reinsurance Arrangements (expected to continue/new/other arrangements)			
1.1 Name of the Reinsurer			
1.2 Type of the treaty 1.3 Retention Limit			
1.4 Deductible(s)			
1.5 Reinsurance Arrangements (Provide Details) 1.6 Reinsurance Commissions			
1.7 Profit Commissions			
1.8 Changes in program (if any) (Provide Details) 1.9 Rationale for such a change			
lainsteer Datails for Existing Retreatance Arrangements			
	The state of the s	Total	
Reinsurer Total Premium Collected	Plantum Leded	Commissions Received to Received	
	The state of the s	Amount Amount	
	Within hadilt Cutside India 4	THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	
Area	Cor is Year Real Year,		
2(I) Invested Releases once			
2.1.1 Name of the insurer 2.1.2 Nature of risk expected to reinsurer			
2.63 Type of the treaty			
2.1.4 Type / List of the products 2.1.5 Retention Limit of the Cedant			
2.16 Deductible of the Cedant			
2.1.7 Reinsurance Arrangements (Provide Details) 2.1.8 Reinsurance Commissions			
2.19 Profit Commissions			
2.i.10 Changes in program (if any) (Provide Details)			
2.i.11 Rationale for such a change			
Selector Details for James of Relevantance			
	Territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp	Total	
Reinsurer Total Premium Collected	Premium Ceded	Tatal Claims Commissions Received Received	
		The state of the s	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Within India Outside India	Amount Amount	
Area Area	Current Year Previous Year		
(Clumn (Cd. 2(K) Do you propose to setrocede? (if yes provide the following details)	te and the same of		
7.ii1 Name of the insurer/reinsurer			
2.i.2 Nature of risk expected to reinsures 2.i.3 Type of the treaty			
2.is 4 1 ist of the Product(s)			
2.ii5 Retention Limit of the Cedant 2.ii6 Deductible of the Cedant			
2.li7 Reinsurance Arrangements (Provide Details)			
2.fr. 8 Reinsurance Commissions			
2.ii. 19 Profit Commissions 2.ii. 10 Changes in program (If any) (Provide Details)			
2.w 11 Rationale for such a change			
F-10 - 11 - 1 - 1 - 1	production of the second second		
		0.93 06	
	N A	Total Chairne	
Total Premium Collected	Premium Ceded	Commissions Received	
CATALON CONTRACTOR OF THE CONT	Within India Outside India	Amount Amount	
	0.554		

aruz nensurakot 13 reinsurance Program Details - Outward	ud.	
impose and Objective. This input from captures the detalls of the reinsurance progra The impurity of this return is yearly.		
Next and Parameters Veet	8	
hammov		
Area C Listing Balesconner Artinganess (Appendix to Common) 1 arrangements	provides I'll (the Labbi) provides I'll (the Labbi) proposed for the labbi) provides I'll (the Labbi) provides I'll (the Labbi) provides I'll (the Labbi)	
1.1 Name of the Recognition 1.2 Tree of the resty 1.3 Retention that 1.4 Deductible(s)		
15. Returnment by the provide Decard) 16. Person area Commission 17. Prefit Commission 18. Coases in proper in Empforciae Details 19. Instrument of the provide Details 19. Instrument of the provide of the provide Details 19. Instrument for such as change.		
	Part .	100
Total Promium Collecting	Personan Cyded Coorness Tests Stans Coorness Coo	
2001	1	
20) Detroired Enhancements 2.1.1 Name of the insurer		
2.1.2 hature of this expected to refinure: 2.1.3 Tore of the treats. 2.1.4 Tore of that of the predicts.		
2.15 Returnision Links of the Cedant 2.16 Deductible of the Cedant 2.17 Reformance Arrangements Provide Details)		
de Detail		e.
		1155
Tess Premium Califolica	Secretary Chairt of the Chairman Secretary Secretary Chairman Secretary (1984)	
1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N	Worther and 4. Collected into a	
a Area Co	Coursel Veer Pre-mail Vear	
2.1. I Name of the traver framework of the preside the following 2.1. I Name of the traver framework.	o) (ontive b	
24.3 Type of the treaty 24.4 Live of the Productio 3.4 Clineration (in Fig. 1) the Cedant		
2.1. F. Defortable of the Colons 2.1.7 Reliasurance Arrangements (Provide Details) 2.1.8 Retissurance Commissions		
2.4. Of Chanter in program (8 arry) [Provide Details] 2.4. 10 Chanter in program (8 arry) [Provide Details] 2.4. 11 Rationale for such a change		
Compared to the Compared to th		
Intures Total Premium Collected	Premium Credit Commercy Carror Stand Sums only Resided Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount	
	Model hands	

Statement 1

Statement of Statistics relating to the Reinsurance business for the Quarter ended......

Name of the Company		Number	of Policies	Numbe	r of Lives	Number of	f Claims Incurred	Number o	f Claims Settled	Number of Cla	ims Outstanding
	Name of the Product	Gross	Reinsured	Gross	Reinsured	Gross	Reinsured	Gross	Reinsured	Gross	Reinsured
	Α Ι										
	В										
	С		İ								
	D		1								

STATEMENT 2

	Name of		Linked/										Type of					Retention
	the			with profits/	Individual	Date of	Minimum	Maximum	Average SA			Reinsuran	Reinsuran	Method of	Retention I			limit
S.No	product	UIN	/ VIP	withoutprofits	/ groups	launch	SA	SA	CY	CY-1	CY-2	ce ceded	ce	reinsurance	CY	CY-1	highest limit	applicable

Total gross premium Total risk premiui	m in the gross premium)	Total premium ce	eaea	Risk premi	lum/mortalit	ΔVI	Keinsurance	e premium	as a	Reinsurano	e premium a	as a percentage	First year rein	surance com	mission, Sul	bsequent years re	ein surance
CY CY-1 CY-2 CY CY-1	CY-2	CY CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY C	CY-1 C	.Y-2 CY	CY-1	CY-2

Profit co	mmission or	any other	Gross prei	nium as a percent	nge of total	Total risk p	remium or	mortality /	Total reins	urance prei	nium as a		comments	Remarks of
CY	CY-1	ICY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	s of the	of AA on	the AA, if

The above statement is to be separately furnished for endowment / whole life / money back / health / pension/ term others

	Name of		Linked/										Type of					Retention
	the		nonlinked	with profits/	Individual	Date of	Minimum	Maximum	Average SA	1		Reinsuran	Reinsuran	Method of	Retention	limits		limit
S.No	product	UIN	/ VIP	withoutprofits	/ groups	launch	SA	SA	CY	CY-1	CY-2	ce ceded	ce	reinsurance	CY	CY-1	highest limit	applicable

Total gross premium			Total risk premium in the gross premium Total premium ceded					Risk premium/mortality/			Reinsurance premium as a			Reinsurance premium as a percentage First year reinsurance commission, Subsequent years reinsurance									
CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY -	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2

Profit com	mission or a	ny other	Gross prem	ium as a percenta	Total risk p	remium or	mortality /	Total reins	urance prer	nium as a	Comment comments Remarks of			
CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	s of the	of AA on	the AA, if

The above statement is to be separately furnished for endowment / whole life / money back / health / pension/ term others